27/12/22

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी अनुपस्थित। पूर्व आदेशिकाओं के अनुसार उभय पक्ष के अभिभाषक अनुपस्थित रहे हैं। इनके पत्रावली का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 19.5.22 एवं 29.8.22 के अन्तिम अवसर के बावजूद अवसर प्रदान करने पर भी तलबी नोटिस पेश नहीं किये गये ना ही कोई उचित कारण बताया गया। वर्ष 2018 के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। इनके उपरान्त भी तलबी पेश नहीं की गई अतः न्यायालय अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 व 5 CPC के वाद खारिज करना उचित समझता है। वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील तकमील दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़